**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 779–दो/14 जिला – सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15-9-15 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार रैगांव वृत्त रैगाव तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 13/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30.9.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । | |
| | 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, रघुराज नगर के न्यायालय में ग्राम अमौधाकलां स्थित आराजी नं0 622/1 रकबा 0.713 के सीमांकन हेतु दिनांक 10.10.11 को आवेदन पेश किया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किए जाने के आदेश दिए । इस पर से कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन पेश किया गया । इस पर आवेदक ने दिनांक 5–9–11 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश की । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का उत्तर अनावेदक द्वारा पेश किया गया । जिस पर से नायब तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 8–11–12 के लिए नियत किया किंतु प्रकरण में दिनांक 8–11–12 को कोई आदेश पारित नही किया गया और इसके उपरात प्रकरण 10 माह तक बिना किसी कार्यवाही के बंद रहा । दिनांक 30–9–13 को प्रकरण में दूसरे पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया जाकर बिना उभयपक्षो को सुने आवेदक की आपत्ति निरस्त की एवं नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन की पुष्टि की । अतिरिक्त तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । | |
| | 3– आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक ने आराजी नंब 622/1 के सीमांकन हेतु आवेदन पेश | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारो एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

किया था और इसी हेतु शुल्क अदा की गई थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी दिनांक 19–10–11 को इसी आराजी का सीमांकन किए जाने का आदेश दिया गया था किंतु राजस्व निरीक्षक द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से अनावेदक के प्रभाव में आकर दिनांक 18–3–12 को आराजी नं0 621/1, 621/2, 622/1 एवं 622/2/1 का सीमांकन किया गया है जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय एव कलेक्टर न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी उभयपक्षों की भूमियों का सीमांकन बंदोवस्त नक्शा शीट से किया जाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बंदोवस्त नकशा सीट मंगाये जाने का पत्र रिकार्ड कीपर को दिनांक 14–3–12 को जारी किया गया था जिस पर यह टीप अंकित की गई कि बंदोवस्ती नक्शा नही मिल रहा है इसके बाद भी अधीनस्थ न्याालय ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि अभिलेखागार नागौर से बंदोवस्ती शीट मंगाई गई जबकि राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 24–3–12 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पटवारी हल्के के पास उपलब्ध नक्शे एं सहयोग से सीमांकन किया गया । इससे यह स्पष्ट है कि सीमांकन बंदोवस्त नक्शा सीट से न किया जाकर हल्का पटवारी के पास चालू नक्शे से किया गया है जबकि चालू नक्शे से सीमांकन किए जाने का कोई आदेश पृथक से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि पटवारी द्वारा आवेदक क्र. 1 को दिनाक 7–12–11 को इस आशय की सूचना दी गई थी कि सर्वे न. 621/1 एवं 621/2 का सीमांकन दिनांक 9–12–11 को दिन में 02–00 बजे किया जायेगा किंतु इस दिनांक को कोई सीमांकन नहीं किया गया और बाद में सीमांकन किए जाने की कोई सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई ।

यह तर्क दिया गया है कि आरजी नं. 621 एव 622 से लगी हुई आवेदक क्र. 1 के स्वामित्व एवं कब्जे दखल की आराजी नं 627, 628, एवं आवेदक क्र. 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 779–दो / 14

जिला – सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | के स्वामित्व की आराजी नं0 618, 619 एवं 620 अनावेदक क्र. 1 की आराजी से लगी हुई है इस प्रकार आवेदकगण सरहदी काश्तकार हैं किंतु उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और मनमाने तरीके से कार्यवाही की गइ है ।<br>यह तर्क दिया गया कि आवेदक क्र0 1 के पूर्व भूमि स्वामी गुलाब चंद मलैया द्वारा अपने स्वामित्व की आराजी नं. 628/ रकबा 4.090 का सीमांकन कराया था जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार द्वारा प्र0क0 104/अ–12/06–07 में पारित आदेश दिनांक 30.7.07 द्वारा की गई है उक्त सीमांकन कार्यवाही की सूचना अनावेदक क्र. 1 को दी गई थी जिस पर उसने विधिवत हस्ताक्षर किये थे । उक्त सीमांकन के समय जो सीमा चिन्ह बताए गए उसी अनुसार आवेदक क्र. 1 ने भूमि क्रय की और उसका कब्जा चला आ रहा है ।<br>उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–9–12 को नायब तहसीलदार द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 8–11–12 के लिए नियत किया किंतु प्रकरण में दिनांक 8–11–12 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया और इसके उपरांत प्रकरण 10 माह तक बिना किसी कार्यवाही के बंद रहा । दिनांक 30–9–13 को प्रकरण में दूसरे पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों को बिना सुने अवैधानिक तरीके से आदेश पारित किया जाकर आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुए राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन की पुष्टि की गई है । अति. तहसीलदार की उक्त कार्यवाही संहिता के प्रावधानों एवं विधि की दृष्टि से शून्य है क्यों कि | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि प्रकरण में सुनवाई किसी अन्य पीठासीन अधिकारी द्वारा किए जाने की दशा में भी आदेश दूसरे पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

3– अनावेदक क्रमांक 1 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

4– अनावेदक क. 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह न्यायिक प्रकिया से परे होकर अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है क्योंकि प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा आदेश हेतु जो दिनांक नियत की गई थी उस दिनांक को आदेश पारित नहीं किया गया और 10 माह बाद दूसरे पीठासीन अधिकारी अपर तहसीलदार ने पक्षकारों को बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो विधि की दृष्टि से पुष्टि योग्य नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पश्ट है कि प्रकरण में सीमांकन के लिए जो आवेदन है वह सर्वे नं0 622/1 के लिए दिया गया था जबकि सीमांकन आराजी नं0 621/1, 621/2, 622/1 एवं 622/2/1 का कया गया है, जो मांगी गई सहायत के विपरीत है । प्रकरण में सीमांकन बंदोवस्त नक्शा सीट से करने के आदेश होते हुए भी सीमांकन पटवारी के नक्शे के आधार किया गया है, जो विधि विरूद्ध है । प्रकरण में जो सूचना पत्र है वह दिनांक 7–12–11 का है जिसमें सीमांकन हेतु नियत दिनांक 9.12.11 का उल्लेख है परंतु उसमें ऊपरीलेखन करके दिनांक 18.3.12

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – सतना

प्रकरण क्रमांक – निग0 779–दो/14

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | किया गया है । उपरोक्त परिवर्तन दिनांक की कोई सूचना आवेदक या अन्य सरहदी काश्तकारों को दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में की गई सीमांकन की कार्यवाही स्वेच्छाचारी एवं मनमाने तरीके से की गई है, जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर नही रखा जा सकता । <br><br> उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–13 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को विधिवत सूचना देकर तथा उनकी उपस्थिति में मौके पर जांच कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन का विधिवत निराकरण किया जाये । <br><br> (एम.के.सिंह) <br> सदस्य <br> राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर | |

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

रा.निगरानी क............/13-14

R-779-II/14

1.जी0एम0वेल्डकान प्रा.लि.कोलकाता द्वारा डायरेक्टर सुबोध गोयल पिता मुरलीधर गोयल निवासी पुरानी गल्ला मण्डी सतना तह.रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2.मेसर्स विराट नगर प्रापर्टीज जरिए संतोष सिह राय पिता सुबोध सिंह राय निवासी ओवर ब्रिज के पास मुख्त्यार गंज सतना जिला सतना म0प्र0 ..............निगराकार

बनाम

1.शकील अहमद पिता श्री हाजी नसीर मो. निवासी शास्त्री चौक महावीर मार्ग सतना, वर्तमान निवास- यू.एस.ए.होटल पन्ना रोड सतना तह.रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2.म0प्र0शासन .................... .....गैर निगाकारगण